कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1317 / 12-1 :देहरादूनःदिनांकः 6 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–03।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में तिमिलटनौला आरूसारी विरोट भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 0.945 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/18882/2016)

संदर्भ :– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1369/IX-3-20/1(153)/2020 दिनांक 22.12.2020।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1416/12–1(2) दिनांक 01.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक रू0 1,33,100.00 की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0ए0 566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,20,865.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–01)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी। **(संलग्नक–02)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0,	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉरपोरेशन बैंक ब्लॉक 11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स फेज–। लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में कुल रू0 7,53,965.00 की धनराशि जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**

	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात की निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक की आख्या संलग्न कर प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–03)**
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–04)**
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी शर्तो का पालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर मलुवे का निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा मलुवे निस्तारण डम्पिंग यार्ड में किया जायेगा तथा मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों को कोई नुकसान व वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनके संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षो का कटान प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों से अधिक वृक्षों का कटान नही किया जायेगा। वृक्षों का कटान वृक्षों की लागत जमा वन विकास निगम में करने के उपरान्त किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–1319 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।